6

कार्यालय चाकुलिया नगर पंचायत, चाकुलिया।

आदेश

सरकार के सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 2039 (अनु0) दिनांक 19.03.12 एवं सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 425 दिनांक 10.02.2015 द्वारा नगर निकायों में निकायों का संग्रहण आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Accrual Based Double Entry Accounting System) से लेखा तैयार करने हेतु संविदा पर लेखापाल नियुक्ति के लिए दिये गये निदेशानुसार इस कार्यालय के विज्ञापन सं0 441 दिनांक 09.07.16 द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया । प्राप्त आवेदन पर दिनांक 18.08.16 को चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया । साक्षात्कार के प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के आधार पर चयन समिति द्वारा **श्री तापस राय** को लेखापाल के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया। चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर श्री तापस राय पिता श्री अरूण राय, ग्राम–चाकुलिया , गौड़पाड़ा पो0–चाकुलिया थाना–चाकुलिया जिला–पूर्वी सिंहभूम, को लेखापाल के पद पर 15000.00 (पन्द्रह हजार) रू0 प्रतिमाह मानदेय पर निम्नलिखित शर्त्तों के साथ संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगें।

इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

शर्त्ते निम्नप्रकार है :–

1. यह नियोजन एक वर्ष के लिए है। आवश्यकतानुसार तथा दक्षता एवं कार्य क्षमता के आधार पर विस्तारित भी किया जा सकता है।
2. संविदा /मानदेय के आधार पर नियोजित होने के कारण ये सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
3. संविदा/ मानदेय के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
4. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. समय की समाप्ति के पूर्व इसका विस्तार नहीं हो जाता है तो नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
6. संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व एक माह का संविदा राशि एक मुश्त देकर संविदा समाप्त की जा सकती है। इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. बिना कारण बताये नियोजन की स्वीकृति/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
8. कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को संविदा अवधि में कार्यमुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा किसी भी परिस्थिति में स्थायीकरण के लिए दावा मान्य नहीं होगा।
9. किसी प्रकार के संगठन (Union) एवं राजनीति में भूमिका निभाना वर्जित रहेगा।
10. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों तथा निर्देशों आदि का पालन करना बाध्यकारी होगा।
11. उपरोक्त शर्त्तों से संबंधित एक स्वघोषणा पत्र योगदान के समय समर्पित करना होगा।

Chetan 20/9/16 20/9/16

कार्यपालक पदाधिकारी
चाकुलिया नगर पंचायत
चाकुलिया।

ज्ञापांकः–598 दिनांकः–20.09.2016

प्रतिलिपिः–श्री तापस राय पिता श्री अरूण राय ग्राम–चाकुलिया , गौड़पाड़ा पो0–चाकुलिया थाना–चाकुलिया जिला–पूर्वी सिंहभूम, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

Chetan 20/9/16 20/9/16

कार्यपालक पदाधिकारी
चाकुलिया नगर पंचायत
चाकुलिया।

ज्ञापांकः– 598 दिनांकः– 20.09.2016

प्रतिलिपिः–1) निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा मे सूचनार्थ समर्पित।

2) उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

3) अनुमंडल पदाधिकारी , घाटशिला की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

Chetan 20/9/16 20/9/16

कार्यपालक पदाधिकारी
चाकुलिया नगर पंचायत
चाकुलिया।

F/Durga2016/Miscellaneousletter 2016